# न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या–71/2019–20

## –: आदेश :–

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 10/07/2020 | अभिलेख उपस्थापित।<br><br>विक्रेता **महानन्द महतो, पिता–स्व0 महेश्वर महतो, जाति–कुर्मी(महतो), ग्राम–बाधाडीह, थाना–चास(मु0), जिला–बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा–हुटुपाथर, थाना नं0–84 के खाता संख्या–23, प्लॉट नं0–1285, 1265, रकवा–0.32 एकड़** भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 499/भू0सु0, दिनांक 03.09.2019 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।<br><br>अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1192 दिनांक 04.07.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:–<br><br>1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान **भिखु महतो** के नाम से दर्ज है।<br>2. (क). विक्रेता **ग्राम–बाधाडीह, थाना–चास(मु0), जिला–बोकारो** के मूल निवासी हैं।<br>(ख). क्रेता **ग्राम–मधुनियाँ, थाना–चास(मु0), जिला–बोकारो** के मूल निवासी हैं।<br>3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के **कुर्मी(महतो)** हैं, जो **अत्यन्त पिछड़ी** के श्रेणी में आते हैं।<br>4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात 1.02 एकड़ भूमि शेष बचता है।<br>5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे।<br>6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को केवाला द्वारा प्राप्त है।<br>7. बिक्री की जाने वाली भुमि का जमाबंदी पंजी–II के थोका संख्या–268 में कायम है एवं वर्ष 2010–11 तक रसीद निर्गत है।<br>8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है।<br>9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है।<br>10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म– **गोड़ा तीन, बाईद** है।<br>11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा **मौजा–हुटुपाथर, के खाता संख्या–23, प्लॉट नं0–1285, 1265, रकवा–0.32 एकड़** भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। | |

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| | विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0–JHRC/2019/544062 - दिनांक 10-07-2019 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र–JHRC/2019/537052 दिनांक 09.07.2019 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।<br><br>अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा आवेदक के द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता **महानन्द महतो, पिता–स्व0 महेश्वर महतो, जाति–कुर्मी(महतो), ग्राम–बाघाडीह, थाना–चास(मु0), जिला–बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा–हुदुपाथर, थाना नं0–84 के खाता संख्या–23, प्लॉट नं0–1285, 1265, रकवा–0.32 एकड़** भूमि क्रेता **अश्विनी महतो, पिता–स्व0 प्राण महतो, जाति–कुर्मी(महतो), ग्राम–मधुनियाँ, थाना–चास(मु0), जिला–बोकारो** को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>10/07/20<br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br>चास।<br><br>10/07/20<br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता,<br>चास। | 10/07/2020<br><br>13/07/20 |